न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 1881 दिनांक –31-7-2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 केशराराम पुत्र फुसाराम वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 मोहनराम पुत्र कानाराम वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 1291/2017 दिनांक– 30.7.19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 765/697 रकबा 36.00 बीघा, खसरा संख्या 769/709 रकबा 42.15 बीघा, खसरा संख्या 749/677 रकबा 30.16 बीघा, खसरा संख्या 751/677 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 762/697 रकबा 04.08 बीघा, खसरा संख्या 768/709 रकबा 42.15 बीघा, खसरा संख्या 764/697 रकबा 36.01 बीघा, खसरा संख्या 767/709 रकबा 42.15 बीघा, खसरा संख्या 763/697 रकबा 35.15 बीघा, खसरा संख्या 766/709 रकबा 42.15 बीघा एवं मौजा ताजोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 833/623 रकबा 11.07 बीघा, खसरा संख्या 729/623 रकबा 11.06 बीघा, खसरा संख्या 834/623 रकबा 11.06 बीघा व खसरा संख्या 832/623 रकबा 11.07 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/ 1882-1885 दिनांक– 31-7-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. केशराराम पुत्र फुसाराम वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मोहनराम पुत्र कानाराम वगैराह जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.08.26 13:04:27 IST
Reason: SelfAttested